संख्या–५१९७ /चि0–3–16–जी–179/2005

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 2016

विषयः–पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के पुरूष व महिला चिकित्साधिकारियों को प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर अध्ययन (डिप्लोमा) करने एवं छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ व आल इंडिया हाईजिन इंस्टीट्यूट कलकत्ता में डी0पी0एच0 (डिप्लोमा इन पब्लिक हैल्थ) करने के सम्बन्ध में अर्हताएं एव शर्तो के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर अध्ययन (डिप्लोमा) करने एवं छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ व आल इंडिया हाईजिन इंस्टीट्यूट कलकत्ता में डी0पी0एच0 (डिप्लोमा इन पब्लिक हैल्थ) करने वालें अधिकारियों के चयन हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–1653/चि0–3–11–जी0–179/2005, दिनांक 23.05.2011 एवं शासनादेश संख्या–डब्लू0पी0–633/चि0–3–15–जी0–74/2013, दिनांक 08.08.2015 द्वारा अर्हताएं एवं शर्तें निर्धारित थी। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल की गयी रिट याचिका संख्या–55875/2015 डा0 अशोक कुमार बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 07.04.2016 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0/पी0जी0/एस0/2016–17/6235, दिनांक 28.10.2016 के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में प्रचलित शासनादेश दिनांक 23.05.2011 एवं 08.08.2015 को अवक्रमित करते हुए पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को शासकीय व्यय पर पी0जी0(डिप्लोमा) हेतु निम्नवत् अर्हताएं एवं शर्तें निर्धारित की जाती हैः–

(1) वर्ष 2017–18 एवं इसके पश्चात पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों का पी0जी0 डिप्लोमा कोर्स में चयन एम0सी0आई0 के विनियम–9(1) में की गयी व्यवस्था यथा There shall be a single eligbility cum entrance examination namely 'National Eligbility-cum-Entrace Test for admission to Postgraduate Medical courses in each academic year. The overall superintendence, direction and control of National Eligbility-cum-entrance Test shall vest with Medical Council of India. However, Medical Council of India with the previous approval of the Central Government shall select organization/s to conduct national Eligibility-cum-entrance Test for admission to Post graduate Courses'. के अनुसार की जायेगी।

(2) Medical Council of India के अधिसूचना संख्या–एमसीआई.18(1)/2010–med/49070 , दिनांक 21.12.2010 द्वारा किये गये संशोधन के सब–क्लॉज–04 के पश्चात अधिसूचना दिनांक 15.02.2012 द्वारा निम्न परन्तुक भी जोड़ा गया है :–

"Provided that in determining the merit of candidates who are in service of governments/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/Competent Authority as an incentive at the rate of 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas upto the maximum of 30% of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test. The remote and difficult areas shall be as defined by State Government/Competent authority from time to time."

The clause 9 under the heading 'SELECTION OF POSTGRADUATE STUDENTS, as amended vide notification No. MCI.18(1)/2010-Med/49070 dated 21 December 2010,

following shall be added after sub-clause VI which is as under, in terms of Notification sated 15-02-2012 :-

"VII. 50% of the seats in Post Graduate Diploma Courses shall be reserved for Medical Officers in the Government service, who have served for at least three years in remote and/or difficult areas. After acquiring the PG Diploma, the Medical Officers shall serve for two more years in remote and/or difficult areas as defined by State Government/Competent authority from time to time.

"VIII. The Universities and other authorities concerned shall organize admission process in such a way that teaching in postgraduate courses starts by 2nd May and by 1st August or super speciality courses each year. For this purpose, they shall follow the time schedule indicated in.

एम0सी0आई0 के उक्त प्राविधानों के अनुसार पी0जी0 डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के समय उक्त सभी सुविधाएं/incentive/सीटों के आरक्षण की व्यवस्था अनुमन्य होगी।

(3) स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा में प्रवेश हेतु चिकित्सा अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आयु की गणना के लिए कट–ऑफ तिथि आवेदन वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष की 31 दिसम्बर होगी।

(4) उक्त डिप्लोमा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को अपने नियंत्रक अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

(5) स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना आवश्यक होगा।

(6) विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निम्न प्रतिबन्ध होगें:–

(क) अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई विभागीय/सर्तकता जॉच अथवा आपराधिक केस प्रचलित नही होना चाहिए।

(ख) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में अभ्यर्थी द्वारा की गयी सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक होनी चाहिए।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा सूदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में जैसा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 परिभाषित हो, किया जाना आवश्यक होगा, जिसकी गणना के लिए कट–ऑफ तिथि आवेदन–वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष की 31 दिसम्बर होगी।

(घ) अभ्यर्थी द्वारा कोई स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा/डिग्री अध्ययन पूर्व में न किया गया हो तथा वर्तमान में भी न किया जा रहा हों।

(ड) अभ्यर्थी ने विभाग द्वारा निर्धारित बाण्ड भरे हों।

(7) स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा के प्रत्येक अभ्यर्थी को इस आशय को बाण्ड, भरना होगा कि:–

(I) स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा की अंतिम काउन्सिलिंग के बाद वह स्वयं इच्छा से प्रवेश नही लेता है, तो वह रू दस लाख का भुगतान राज्य सरकार को करेगा।

(II) यदि वह स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा में प्रवेश लेने के उपरान्त अध्ययन बीच में छोड़ देता है तो रू दस लाख का भुगतान राज्य सरकार को करेगा।

(III) स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोगा प्राप्त करने के उपरान्त वह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम् दस वर्ष की सेवा करेगा एवं उसके द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में वह रू पचास लाख का भुगतान राज्य सरकार करेगा।

(8) यदि कोई चिकित्साधिकारी स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा का अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है तो उसे अगले तीन वर्षो के लिए डिप्लोमा में प्रवेश से डिबार कर दिया जायेगा।

(9) स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा के लिए चयनित चिकित्सक को डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लने से पूर्व विभाग द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी से कार्य–मुक्ति का आदेश लेना आवश्यक होगा।

(10) स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा में अध्ययनरत चिकित्साधिकारी को अध्ययन सत्र समाप्त होने के बाद तत्काल अपने पूर्व तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(11) स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोगा में अनुर्तीण चिकित्साधिकारी अपने नियंत्रक अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पुनः परीक्षा में बैठ सकेगें।

(12) डिप्लोमा कोर्स में अध्ययन की अवधि में चिकित्साधिकारी को नियमित वेतन देय होगा, परन्तु यदि वह शिक्षण संस्थान से कोई वेतन अथवा भत्ता लेता है तो उसे विभाग द्वारा वेतन देय नही होगा।

2— डी0पी0एच0 एवं स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदित अधिकारियों को ड्यूटी पर मानते हुए प्रत्येक मेडिकल कालेज में आरक्षित सीटों पैथालाजी, एनेस्थेटिस्ट, गाइनोकोलाजी, पिड्रियाटिक्स, आथ्लमोलाजी तथा रेडियोलाजिस्ट आदि में डिप्लोमा करने की स्वीकृति दी जायेगी। इन्हें किसी भी परिस्थति में स्नातकोत्तर योग्यता वेतन नही दिया जायेगा। अध्ययन की अवधि में इन चिकित्साधिकारियों को आवंटित मेडिकल कालेजों में आर0डी0एम0ओ0 के पद माना जायेगा। उपरोक्त नीति/मानकों में महानिदेशालय स्तर पर शिथिलता देने का अधिकार नही होगा।

3— पी0जी0 डिप्लोमा अध्ययन हेतु उपरोक्त नीति सत्र वर्ष 2017—2018 से प्रभावी होगी।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या— ५१९७ (1)/चि0—3—16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन लखनऊ।
2. सचिव, एम0सी0आई (मेडिकल कांउन्सिल ऑफ इंडिया) पाकेट—14 सेक्टर—8 द्वारका नई दिल्ली—110077।
3. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक प्रशासन/प्रशिक्षण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य (समस्त मेडिकल कालेज), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 नीरज शुक्ला)
विशेष सचिव

कम्प्यूटर सेल